



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rsjsa@nic.in

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:-एफ-7(38) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.सदस्य नियुक्ति/2026/3247

दिनांक: 07/02/26

विज्ञापित

स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन/नियुक्ति हेतु विज्ञापित

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22 बी के तहत जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाएं:-

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

उपरोक्त जनोपयोगी सेवा (Public Utility Services) संबंधित प्रकरण जो एक करोड़ रुपये तक की मालियत के हो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) संस्थापित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में जोधपुर महानगर में 01 पद रिक्त एवं वर्ष 2026 में (माह जुलाई तक) अजमेर में 01 पद, बालोतरा में 01 पद, बांसवाड़ा में 02 पद, बारां में 01 पद, भीलवाड़ा में 02 पद, चूरू में 01 पद, दौसा में 01 पद, धौलपुर में 01 पद, डूंगरपुर में 01 पद, हनुमानगढ़ में 02 पद, जयपुर महानगर-प्रथम में 01 पद, जयपुर जिला में 02 पद, झालावाड़ में 01 पद, झुंझुनू में 01 पद, पाली में 02 पद, राजसमंद में 01 पद, सवाई माधोपुर में 01 पद, सीकर में 01 पद, सिरोही में 02 पद, टोंक में 02 पद तथा उदयपुर में 02 पद रिक्त होने वाले हैं। इस प्रकार कुल रिक्त 30 पदों पर सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/Other Person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो:-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या
04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो.

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति को प्रतिवर्ष, वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर 05 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:-एफ-7(38) रालसा/संस्था-पी.एल.ए.सदस्य नियुक्ति/2026/3217

दिनांक: 07/02/26

विज्ञप्ति

स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति के नामांकन/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 22 बी के तहत जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत निम्नांकित सेवाएं:-

1. वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं;
2. डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;
3. किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति;
4. लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली;
5. अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा;
6. बीमा सेवा;
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं;
8. आवासीय सेवाएं;
9. लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस सेवा;
10. शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं या
11. आवास और भू सम्पदा सेवाएं;

उपरोक्त जनोपयोगी सेवा (Public Utility Services) संबंधित प्रकरण जो एक करोड़ रुपये तक की मालियत के हो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) संस्थापित की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय पर धारा 22 बी के तहत संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में जोधपुर महानगर में 01 पद रिक्त एवं वर्ष 2026 में (माह जुलाई तक) अजमेर में 01 पद, बालोतरा में 01 पद, बांसवाड़ा में 02 पद, बारां में 01 पद, भीलवाड़ा में 02 पद, चूरू में 01 पद, दौसा में 01 पद, धौलपुर में 01 पद, डूंगरपुर में 01 पद, हनुमानगढ़ में 02 पद, जयपुर महानगर-प्रथम में 01 पद, जयपुर जिला में 02 पद, झालावाड़ में 01 पद, झुंझुनू में 01 पद, पाली में 02 पद, राजसमंद में 01 पद, सवाई माधोपुर में 01 पद, सीकर में 01 पद, सिरोही में 02 पद, टोंक में 02 पद तथा उदयपुर में 02 पद रिक्त होने वाले हैं। इस प्रकार कुल रिक्त 30 पदों पर सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/Other Person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हो-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि, एवं
02. लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
03. सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा जन उपयोगी सेवाओं के कार्य का अनुभव हो, या
04. विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा परन्तु जन उपयोगी सेवा का अनुभव हो.

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवाएं सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारंभिक नियुक्ति के 01 वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति को प्रतिवर्ष, वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर 05 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकेगा।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

4. स्थाई लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधाएं Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 (यथा संशोधित) के अनुरूप देय होंगी।
5. उक्त चयन की प्रक्रिया प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात् स्क्रीनिंग या साक्षात्कार अथवा दोनों द्वारा पूर्ण की जावेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का टी. ए./डी.ए. देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक को स्वयं यह घोषणा पत्र देना होगा कि उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं है।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में डाक या व्यक्तिशः द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावे।
9. नियुक्ति से संबंधित शर्तें व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members/other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है, बल्कि स्वसेवा है, जिस कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **27.02.2026** है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सायं 05.00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. एक आवेदन पत्र के जरिये केवल एक ही स्थान के सदस्य/अन्य व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-sjsa@nic.in

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 22 बी के तहत
संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सदस्य/अन्य व्यक्ति (Member/other person) के रिक्त पदों पर
सदस्यों/अन्य व्यक्तियों (Members/other person) के नामांकन/नियुक्ति हेतु।

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है.....

(केवल एक जिला ही अंकित किया जावे)

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में

अंग्रेजी में

2. आवेदक के पिता/पति का नाम

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंकों में)

4. शैक्षणिक योग्यता

5. गृह जिला

6. स्थायी निवास का पता

(टेलीफोन नम्बर).....

7. वर्तमान पता

(टेलीफोन नम्बर).....

8. मोबाईल नम्बर

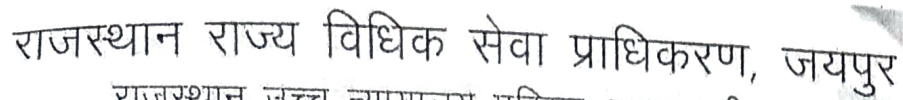
9. ई-मेल आई.डी.

10. कार्यालय का पता

11. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण(सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित) :-

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

पासपोर्ट साइज
का नवीनतम
स्व-हस्ताक्षरित
फोटो चिपकाये



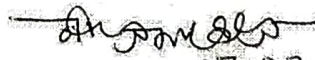
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481 FAX: 2227692 T-455)

Website: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

- ESTABLISHMENT SECTION (PERMANENT) LOK ADALAT/PLA MEMBER RECRUITMENT 2026/ADVT. 2026.DOCK

क्रमांक:-एफ-7(38)/रालसा/संस्था-पी.एल.ए. सदस्य नियुक्ति/2026/3210-3270 दिनांक: 07/02/2026
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इंचार्ज महोदय, मीडिएशन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
8. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को जिला कलेक्ट्रेट एवं समस्त उपखण्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
9. निदेशक/विशेष सचिव/उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, रालसा, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव, रालसा, जयपुर।
13. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय, रालसा, जयपुर।
14. नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. संबंधित पत्रावली।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक 07-02-2026

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।



कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2943451; हेल्पलाईन: 8306002129; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक: 711-727

दिनांक: 07.02.2026

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जारी स्थायी लोक अदालत में सदस्यों या अन्य व्यक्ति की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या एफ-7(38)/रालसा/संस्था-पी.एल.ए.सदस्य नियुक्ति/2026/3217 दिनांक 07.02.2026 की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
3. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बिलाड़ा/ओसियां/पीपाड़/बालेसर।
4. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
5. श्रीमान् उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर
6. श्रीमान् उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
7. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
8. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर
9. श्रीमान् अध्यक्ष, स्थानीय बार एसोसिएशन, बिलाड़ा/ओसियां/पीपाड़/बालेसर (जरिए संबंधित अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति)
10. श्रीमान् जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर
11. श्रीमान् अध्यक्ष, पेंशनर हितकारी न्यास, जोधपुर
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला (कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
13. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला।
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
15. कार्यालय प्रति।

भवदीय,

(पूरण कुमार शर्मा)

अध्यक्ष,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

जोधपुर जिला।